भूमिका

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत गठित सहकारी समितियों का अन्तिम प्राधिकार समिति के सामान्य निकाय में एवं सहकारी समितियों के प्रबन्धन का अधिकार अधिनियम की धारा–29 के अन्तर्गत समिति की प्रबन्ध कमेटी में निहित किया गया है, जो सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा अधिनियम/नियमावली एवं समिति की उपविधियों के अन्तर्गत गठित/निर्वाचित की जाती है।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 में किये गये संशोधन दिनांक 28–03–2013 द्वारा धारा–29 में संशोधन करते हुए प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए निर्वाचन, उ0 प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम–470 में निहित व्यवस्था के अधीन सहकारी समितियों के निर्वाचन को विनियमित किये जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव पर उ0 प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमवली 2014 का प्रख्यापन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 19–05–2014 को किया गया है।

सहकारी समितियों के निर्वाचन को निष्पक्ष एवं नियम संगत ढंग से सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 तथा उ0 प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 में हुये अद्यतन संशोधनों को समाहित करते हुये, निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण धाराओं एवं नियमों का संज्ञान, निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए "सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका" प्रकाशित की जा रही है।

स्पष्टीकरणः– यदि इस मार्गदर्शिका में उल्लिखित कोई बिन्दु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 तथा उ0 प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014 में उल्लिखित प्राविधानों के असंगत अथवा भिन्न हो तो ऐसी स्थिति में सहकारी अधिनियम, सहकारी नियमावली एंव निर्वाचन नियमावली के सुसंगत प्राविधान ही प्रभावी माने जॉयेंगे।

KEAMS

1– निर्वाचन से सम्बन्धित महत्पूर्ण परिभाषाएं

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से है;

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग'' से है;

(ग) ''सहकारी नियमावली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 से है;

(घ) ''निर्वाचन'' का तात्पर्य :–
(1) प्रतिनिधियों, या
(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या
(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति, अथवा अन्य समिति को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन से है;

(ङ) ''मतदाता'' का तात्पर्य किसी ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि से है, जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा–34 या धारा–29(7) के अधीन नाम निर्दिष्ट या नियम–42(ख) या 450 के अधीन सहयोजित या नियम–451 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिये तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हों;

(च) ''मतदाता सूची'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों/सदस्यों की सूची;
(दो) समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में, सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित, सहयोजित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सूची;
(तीन) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहाँ से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाना हो, सदस्यों की सूची;

(छ) ''उम्मीदवार'' का तात्पर्य अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता से है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करता है:–

(एक) प्रतिनिधि के रूप में, या
(दो) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में, या
(तीन) सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के रूप में;

(ज) ''अनुसूचित जाति'', ''अनुसूचित जनजाति'' और ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का वही तात्पर्य है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचति जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है;

(झ) ''मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक/उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश अथवा ऐसे अधिकारी से है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ) ''जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से है, जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो;

(ट) "जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के "सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक", सहकारिता अथ्वा ऐसे अधिकारी से है जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ठ) "निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(ड) "सहायक निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिये जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक नियुक्त अधिकारी से है;

(ढ) "मतदान अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मतदान स्थल के लिये नियुक्त अधिकारी से है जिसे निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने और ऐसे अन्य कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, जो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित हों;

(ण) "सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकिया की निष्पक्षता एवं नियम संगत कार्रवाई का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु नियुक्त किया गया हो;

(त)– "चुनाव चिन्ह" का तात्पर्य आयोग द्वारा सहकारी समिति के उम्मीदवारों के निर्वाचन हेतु अनुमोदित प्रतीक चिन्ह से है;

(थ)– "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जहां से निर्दिष्ट संख्या में सामान्य निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय;

(द)– "निर्वाचन स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकटतम किसी सार्वजनिक स्थल से है;

(ध) "मतदान स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी सार्वजनिक स्थल से है तथा सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान होगा, जैसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो;

(न) "निर्वाचन वाद" का तात्पर्य सहकारी समिति के निर्वाचन के पश्चात्, निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन संस्थित वाद से है।

2–निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण

1– आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति के किसी वर्ग या वर्गों के लिए निर्वाचन तिथियां निर्धारित किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित समितियों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 एवं उ0 प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014 के अध्याय–3 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन की जायेगी। (नियम–23)

2– प्रदेश की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, जो किसी भी विभाग यथा– सहकारिता, गन्ना, दुग्ध, आवास, रेशम, मत्स्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, हथकरघा एंव वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग में पंजीकृत हों, के क्षेत्र अवधारण का उत्तरदायित्व सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/ जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी का है।

इसी भांति जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों के क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त एंव संयुक्त निबन्धक/उप आयुक्त एंव उप निबन्धक सहकारिता/ मण्डलीय सहकारी निर्वाचन द्वारा की जायेगी। (नियम–24)

3– क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई किये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि सहकारी समिति ने आयोग द्वारा नियत् किया गया अवधारण शुल्क जमा कर दिया हो। (नियम–64)

कृपया आयोग द्वारा सहकारी समितियों के लिए निर्वाचन हेतु अवधारित शुल्क से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28–05–2014, परिशिष्ट–1 अवलोकनीय है।

4– सहकारी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या यथास्थिति सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के प्रयोजनार्थ अधोलिखित का उल्लेख करते हुए अनन्तिम क्षेत्र अवधारण किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सात दिन के भीतर आपत्तियॉ प्राप्त की जायेंगी।

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, जिसमें सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किया जायेगा,
(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित स्थानों की संख्या
(घ) क्षेत्र का चिन्हांकन तथा आरक्षित स्थानों की संख्या

5– सामान्य निकाय के गठन हेतु क्षेत्र अवधारण करते समय उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 84–क(4) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के संगत अधिकतम 100 प्रतिनिधियों हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई की जायेगी,

परन्तु उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 में हुए अड़तालिसवें संशोधन दिनांक 4–4–2013 के संगत गन्ना सहकारी समितियों और सहकारी चीनी कारखाना समितियों के मामले में यह संख्या उनकी उपविधियों के अनुसार होगी परन्तु किसी भी दशा में 1500 से अधिक नहीं होगी।

सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन में किसी भी वर्ग विशेष के लिए स्थान आरक्षित नहीं किये जायेंगे।

6– प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई करते समय सहकारी अधिनियम की धारा–29(5) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड एव निर्वाचन नियमावली के नियम 28 के संगत् 4 संचालक पद आरक्षित किये जायेंगे जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए तथा दो स्थान महिलाओं के लिए होंगे।

7– निर्वाचन क्षेत्रों का नाम प्रत्येक दशा में हिन्दी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा जिससे निर्वाचन नियमावली–2014 के नियम 28 के संगत चक्रानुक्रम में स्थान आरक्षित किया जाना सम्भव हो सके।

8– अनन्तिम अवधारण में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई ऐसे प्रकाशन के ग्यारहवें/बारहवें/तेरहवें दिन जैसा कि अनन्तिम अवधारण में उल्लिखित किया गया हो, की जायेगी।

9– पारदर्शिता के संगत निर्वाचन नियमावली के नियम 27(4)(क) के प्राविधानानुसार सुनवाई के पश्चात् सम्बन्धित पंजिका पर आपत्तिकर्ता एवं क्षेत्र अवधारण करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किये जायेंगे।

10– प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए किये गये अनन्तिम अवधारण को पन्द्रहवें दिन प्रमुख दैनिक समाचार में प्रकाशित किया जायेगा।

11– सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी:–

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थिति में–13
(ख) केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में–15
(ग) शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति में–17

12– (क) सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु क्षेत्रों के अवधारण की कार्रवाई उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम–444(क) के प्राविधानों एवं समिति की उपविधियों के प्राविधानों के संगत की जायेगी।

(ख) यदि किसी सहकारी समिति में धारा–34 के अधीन शासन स्तर से प्रबन्ध कमेटी के सदस्य नामित किया जाना वांछित हो तो प्रबन्ध कमेटी की अधिकतम संख्या में उतने स्थान छोड़कर क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई की जायेगी।

(ग) किसी समिति की उपविधियों में कोई असंगत प्राविधान होने पर भी उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम–393(1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में कम से कम 09 सदस्यों के हेतु क्षेत्र अवधारण किया जायेगा।

13– सहकारी अधिनियम की धारा–18(2)(ख) के अनुसार समिति में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या किसी भी समय, साधारण सदस्यों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या न तो दो से अधिक होगी और न ही सहकारी समितियों की सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक होगी और न प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के पांचवे भाग से अधिक होगी।

3–निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति एवं निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन

1– निर्वाचन नियमावली–2014 के नियम 8 एवं नियम 30 के प्राविधानों के अनुसार आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किये जाने पर उस जिले, जिसमें समिति का मुख्यालय स्थित है, के जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।

कोई ऐसा अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो उस विभाग की सहकारी समिति के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बद्ध हो।

2— आवश्यक होने पर निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबन्धों के अधीन मतदान अधिकारी के रूप में किसी सरकारी सेवक को नियुक्ति कर सकता है।

3— सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी/गणना अधिकारी अपने मूल विभाग के बजट से यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा।

4— जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र की सहकारी समितियों, जिनका मुख्यालय उनसे सम्बन्धित जनपद में है, के निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचन कार्यक्रम नियम 33(ख) के अनुसार स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनन्तिम क्षेत्र अवधारण के पश्चात् एवं निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के 15 दिन पूर्व प्रकाशित करेगा।

5— समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित करे।

यह भी आवश्यक होगा कि उक्त सूचना प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित विकास खण्ड, केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तथा शीर्ष समिति की स्थिति में आयुक्त एवं निबन्धक तथा आयोग के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित किया जाना अपरिहार्य होगा।

4— नामांकन शुल्क

1— कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित फीस देकर नाम निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र ट) निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है:— (नियम—39(1))

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थिति में:—

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु—	पाँच सौ रूपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु—	एक हजार रूपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु	एक सौ रूपये

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में:—

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु—	एक हजार रूपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु—	दो हजार रूपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु	पाँच सौ रूपये

(ग) राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति में:—

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु—	दो हजार रूपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु—	पाँच हजार रूपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु	एक हजार रूपये

2— निर्धारित शुल्क की धनराशि आयोग द्वारा नियत बैंक खाते में जमा करने अथवा निर्वाचन अधिकारी को अदा करने सम्बन्धी शुल्क की रसीद के साथ नामांकन प्रपत्र (प्रपत्र—ट) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

3– समिति के निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि नामांकन शुल्क एवं अन्य मदों से प्राप्त धनराशि प्रत्येक दशा में निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर आयोग द्वारा नियत किये गये बैंक खाते में जमा करके उसका विवरण जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराये।

5– सहकारी समिति के सदस्य जो मतदान में भाग ले सकते हैं:–

1– उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 18 के प्राविधानानुसार सहकारी समिति के सदस्य निम्न प्रकार के होते हैं:–

(क) साधारण सदस्य
(ख) सहानुभूतिकर सदस्य
(ग) नाममात्र सदस्य
(घ) सम्बद्ध सदस्य

धारा 20 के अनुसार प्रत्येक सदस्य की समिति की पूँजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, केवल एक मत देने का अधिकार है। नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं है।

2– निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम–12 (क) के अनुसार निर्वाचन की तिथि के 45 दिन पूर्व समिति के सदस्य बने साधारण अथवा सहानुभूतिकर सदस्य मतदान का अधिकार रखते हैं।

3– ऐसी सहकारी समिति जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अवक्रमित की गयी हो, के प्रतिनिधि मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

4– सदस्य द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग किये जाने एवं मत प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–19 एवं 20 विशेष विचारणीय है, जो अधोलिखित है:–

धारा–19– सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि देय का भुगतान न कर दिया जाय:–

सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो, जो समिति के नियमों अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

धारा–20– सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि :–

(क) नाम–मात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा;
(कक) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि–
(i) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है, या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा कि उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है

स्पष्टीकरण–(1) इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द "बाकीदार" का तात्पर्य–(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो, अथवा
(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है, जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

(ककक) किसी व्यक्ति को, जो केवल जमा करने के लिए किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य बनता है और उसने समिति से कोई ऋण व्यवसाय नहीं किया है, मतदान का अधिकार तभी होगा, यदि उसने अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए नियत् दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिए समिति में कम से कम एक हजार जमा धनराशि अनुरक्षित किया हो

स्पष्टीकरण–(2) समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो, जिसमें देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, का पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ पद "देय दिनांक का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से 6 मास की समाप्ति का दिनांक होगा"

स्पष्टीकरण–(3) किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा, यदि वह उस धनराशि का, जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो–

(क)(एक) निर्वाचन की दशा में, अनन्तिम मतदाता सूची के विरूद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिए निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व,

(दो) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे।

(ख) यदि कोइ सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति की सदस्य हो, को ऐसी सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो (नियत् रीति से) ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा,

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नामनिर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा, और

(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के सदस्यों के कार्यों में प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।

5– प्रत्येक मतदाता को मतदान किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा नियत् किये गये अभिलेखों, में से किसी एक अभिलेख से अपने पहचान के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी को सन्तुष्ट किया जाना आवश्यक होगा (परिशिष्ट–2)

6–अनर्हता

1– प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अनर्हता निर्वाचन नियमावली के नियम–47 में उल्लिखित है, जो अधोलिखित है:–

47– (1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत मन का हो;

(घ) उसे, आयोग की राय में नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष सिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो;

(ङ) वह या आयोग की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जा रहा हो;

(च) वह अधिनियम या सहकारी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल सहकारी समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे;

(छ) वह सहकारी समिति के अधीन या किसी अन्य सहकारी समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते हैं;

(ज) वह सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, इस खण्ड के उपबन्ध अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) एवं (8) के अन्तर्गत आने वाले वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होंगे;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समिति का (कम से कम 6 मास की अवधि से) बाकीदार हो, या वह सहकारी समिति का अधि–निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक एक केन्द्रीय और एक शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विर्निदिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह

के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष सहकारी समिति और एक केन्द्रीय सहकारी समिति और एक प्राथमिक सहकारी समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त सहकारी समिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह ऐसी किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि सहकारी समिति का, निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया था और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या सहकारी समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो;

(त) यदि वह किसी गैर ऋण सहकारी समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि है और वह सहकारी समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है;

(थ) यदि वह प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा ऐसी समिति में जमा धनराशि एक हजार रूपये से कम हो गयी हो;

(द) आयोग की राय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझ कर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूट रचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया हो, जिसके प्रभाव में उसकी उम्मीदवारी एंव उसके परिणाम पर प्रभाव पड़ा हो;

(ध) यदि उसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय से दो वर्ष से अधिक का कारावास हुआ हो और जिसके विरूद्ध कोई स्थगनादेश प्राप्त न किया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त न किया गया हो;

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोइ सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाय, आमेलन या नाम–निर्देशन द्वारा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी:

(क) खण्ड ज में निर्धारित अनर्हताएं प्रबन्ध कमेटी के किसी नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य पर लागू न होंगी जिसके

सहयोजन हेतु सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय की सदस्यता कोई शर्त नहीं थी;

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनर्हता दोष सिद्धि के अधीन, अर्थदण्ड देने, या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के बाद, जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायेगी;

(ग) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू न होगी, जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में नामांकित किया गया हो;

(घ) कारागार के बन्दियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जेल में बनी सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 47 के उपनियम (1) का उपखण्ड (क), (छ), (झ), (ङ) व (ध) लागू नहीं होंगे।

---

(2)– सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों की अनर्हता–

कोई भी सहकारी समिति, समिति के प्रतिनिधि के रूप में, किसी दूसरी सहकारी समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी, जो निर्वाचन नियमावली के नियम–47 (1) के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (झ), (ञ), (ट), (ड), (ढ) और (ण) में उल्लिखित अनर्हता रखता हो।

(3)– सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में दो लगातार कार्यकाल तक पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर अगले कार्यकाल में निर्वाचित या सहयोचित होने पर प्रतिबन्ध।

उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली–1968 का नियम–449 :–

(1) "कोई भी व्यक्ति, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचित या सहयोजित किये जाने के लिये पात्र न होगा, यदि उसने पूर्ण या आंशिक रूप से दो लगातार कार्यकाल एक समिति में पद धारण किया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा नियम 404 या नियम 434 या नियम 435 या धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन गठित प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में धारित पदावधि की गणना इस नियम के अधीन अवधि की संगणना के लिये नहीं की जायेगी।

(2) कोई सदस्य जो कम से कम पाँच वर्षों के लिये निरन्तर पद पर न रहा हो, (अर्थात वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न रहा हो) उस समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचन या सहयोजन के लिये पुनः पात्र हो जायेगा।"

(4)– सहकारी समिति द्वारा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पश्चात् अन्य समिति हेतु नया प्रतिनिधि निर्वाचित न किये जाने पर पूर्व प्रतिनिधि निर्वाचन लड़ने या मतदान करने का पात्र न होगा।

उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 का नियम–89

"कोई प्रतिनिधि जो एक बार किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय में निर्वाचित/नियुक्त किया जाय, उस पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि या तो वह निकाय, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित/नियुक्त न कर दे, या वह नियम 87 में उल्लिखित कोई अनर्हता अर्जित न कर ले या उक्त पद धारण करने के लिए उस सहकारी समिति की, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो या जिसमें उसका प्रतिनिधित्व किया जाय, उपविधियों के उपबन्धों के आधार पर अधिकार न खो दें :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति/उपसभापति/प्रतिनिधियों के निर्वाचन के समय कोई समिति, समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिये नया प्रतिनिधि निर्वाचित करने में विफल हो जाती है तो पूर्व निर्वाचन में पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधि, समिति के सामान्य निकाय में बने रहेंगे किन्तु वह सम्बंधित समिति का निर्वाचन लड़ने या उसमें मतदान करने के लिये पात्र नहीं होगा।"

7–समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक का उत्तरदायित्व

1– निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्ति के दिनांक से चार मास पूर्व जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को कार्यकाल समाप्त होने की सूचना, अवधारण शुल्क जमा करते हुये, देकर निर्वाचन कराये जाने का अनुरोध करना।

2– निर्वाचन नियमावली के नियम–32 एवं 33 की अपेक्षानुसार निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना का प्रदर्शन किया जाना।

3– सहकारी अधिनियम/सहकारी नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा निर्वाचन नियमावली के नियम–12 एवं 34 के अनुसार अनन्तिम मतदाता सूची तैयार कर यथासमय निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।

4– जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग एवं उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वांछित समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध कराया जाना।

5– निर्वाचन नियमावली के नियम–44 (8) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेखों की अभिरक्षा किया जाना।

8– निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

1– सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्वाचन नियमावली के नियम 12 एवं 34 के प्राविधानो के अनुसार तैयार की गयी अनन्तिम मतदाता सूची, जो उसके द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी को, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के मुख्यालय या आवश्यकतानुसार समिति के उप कार्यालय/ शाखाओं के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

2– अनन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियॉ यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर ली जायेंगी और उसका निस्तारण करते हुए अन्तिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। (नियम–36)

3– अन्तिम मतदाता सूची जो निर्वाचन–क्षेत्रवार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निस्तारण करते हुए तैयार की गयी थी, को उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए उसे निर्वाचन स्थल, समिति के मुख्यालय और आवश्यकतानुसार समिति के उपकार्यालय या शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची रू0 दस प्रति पृष्ठ अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर यथा नियत मूल्य का भुगतान करने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से समिति के मुख्यालय/ शाखा से प्राप्त की जा सकेगी। (नियम–37)

4– अन्तिम मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को भी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। (नियम–38)

5– समिति के निर्वाचन की कार्रवाई निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन नियमावली के नियम–40 से 45 के प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न की जायेगी जो अधोलिखित हैः–

40– (1) किसी भी व्यक्ति का नाम निर्देशन प्रपत्र समिति का निर्वाचन अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह व्यक्ति–

क– मतदान के लिए पात्र न हो;

ख– अधिनियम, निर्वाचन नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो अथवा आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो।

(2) नाम निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र "ट" में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जायेगी।

(3) उम्मीदवार अपना नाम–निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, प्रत्येक दशा में कालानुक्रम में की जायेगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा और प्रपत्र "ट" की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित उम्मीदवार या उसके नामित अभिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह ह कि नाम–निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य अर्ह मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेंगीः–

(क) उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम एवं पता;
(ख) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ग) नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(5) निर्वाचन अधिकारी, नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रजिस्टर में अन्तिम नाम–निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक पड़ी रेखा खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम–निर्देशन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करेगा। नाम–निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य विर्निदिष्ट दिनांक को वर्णमाला क्रम में करेगा और उम्मीदवार/ उसका प्रस्तावक या अनुमोदक परिनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(7) नाम–निर्देशन की परिनिरीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी–

(क) नाम–निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समनुवर्ती प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है;

(ख) जहां आवश्यक हो, वहां यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों में किसी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान न दिया जाय।

(8) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम–निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में, वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार किया जाय, वह 10 रूपये की फीस निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा कर, अस्वीकरण आदेश की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

(9) नाम–निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(10) जहां निर्वाचन अधिकारी नाम–निर्देशन वापस लेने के पश्चात् नाम–निर्देशन को अन्तिम रूप दे दे, वहां पर आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह/चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए आवंटित करेगा और यदि विधिमान्य नाम–निर्देशन की संख्या आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है, जो आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा।

(11) अन्तिम नाम–निर्देशनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम उनके अपने–अपने चिन्ह और नाम–निर्देशन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम में दिये गये होंगे, निर्धारित कार्यक्रम पर नियम 36 में विहित रीति से प्रदर्शित की जायेगी।

(सहकारी समितियों के निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले आयोग द्वारा अनुमोदित चुनाव चिन्हों के लिए परिशिष्ट–3 अवलोकनीय है।)

41– प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिए या मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप

से अधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

42— कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है, या निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो।

43— (1) जहां विधिमान्य नाम—निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, नाम वापसी के पश्चात् तत्काल उसी दिनांक को उन्हे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगाः

(2) जहां विधिमान्य नाम—निर्देशनों की सख्ंया निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नियत् समय एवं दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जो आयोग के द्वारा मुद्रित होगा, जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम के सामने, जिन्हें वह मतदान करना चाहे, एक चिन्ह **(X)** अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) शलाका—पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त शलाका पत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रास का चिन्ह **(X)** लगायेगा और तद्उपरान्त शलाका पत्र को गुप्त रूप से शलाका पेटी में डाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे, जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए दस रूपये की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्ततः जॉच करेगा और यदि ऐसी जॉच के पश्चात उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नहीं होती है, तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को शलाका पत्र देगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द ''आपत्तिकृत मत'' पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन शलाका पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह **(X)** लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वंय को मतदाता सूची में दिये गए किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये, ऐसे मतदाता के रूप में, दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात, शलाका पत्र के लिये आवेदन करता है, तो उसे निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में समाधान करने के पश्चात एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में शब्द "निविदत्त शलाका पत्र" पृष्ठांकित किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त शलाका पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह **(X)** लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(14) मतदान करने वाले मतदाता को अपने मत का प्रयोग किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र से निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यदि हस्ताक्षरित मतपत्र बच जाता है तो उसे एक अलग लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर प्रयोग किये गये मतपत्र, हस्ताक्षरित शेष मतपत्र, शेष सादे मतपत्र आदि की सूचना भरकर लिफाफे में रखा जायेगा।

(16) निर्वाचन अधिकारी द्वारा डायरी में शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न होने की स्थिति में टिप्पणी अंकित करते हुए डायरी को अलग लिफाफे में रखा जायेगा। उक्त डायरी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेखों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में निर्धारित अवधि तक रखा जायेगा।

44– (1) (क) मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतों की गणना की जायेगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतगणना करना सम्भव न

हो तो, मत पेटियाँ निर्वाचन अधिकारी द्वारा मोहर बन्द कर दी जायेगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जायेगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि ऐसा चाहें, लगा सकता है।

(ख) निविदत्त मत एवं आपत्तिकृत मत की गणना उन्हीं परिस्थितियों में की जायेगी जब कुल पड़े मतों से परिणाम घोषित किया जाना सम्भव न हो अर्थात् किन्ही दो या अधिक उम्मीदवारों के मतो की संख्या बराबर हो जाये।

(2) कोई शलाका–पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि–
(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिये कोई हस्ताक्षर हो,
(2) उस समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,
(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,
(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हों।

(3) यदि किसी शलाका–पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिये चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) निर्वाचन–अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतो की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में मामले का विनिश्चिय पर्चा डालकर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– निर्वाचन अधिकारी द्वारा समान रंग एंव आकार की पर्ची पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर तथा पर्ची को इस प्रकार मोड़कर की उम्मीदवार का नाम पढ़ा न जा सके, शलाका पत्र पेटी में डालेगा और उम्मीदवार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से पेटी से एक पर्ची निकलवायेगा। उस पर्ची पर अंकित नाम वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

(6) निर्वाचन–अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी जहां वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रदर्शन ऐसी सहकारी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जायेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, आयोग या सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजी जायेगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कन्टेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हे समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भेज देगा, जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद जिला मजिस्ट्रेट अथवा आयोग को निर्दिष्ट न किया जाय तो दो माह तक उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्वाचन वाद अथवा किसी न्यायालय में निर्वाचन सम्बन्धी याचिका के लम्बित न रहने की स्थिति में समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसे नष्ट कर दिया जायेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का यह उत्तरदायित्व होगा कि अभिलेखों को नष्ट किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करे और उसे सहकारी समिति में रखा जायेगा।

(9) विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों में आयोग जनपद की सभी अथवा किसी वर्ग या वर्गों या किसी विशिष्ट समिति की मत गणना अन्य स्थान पर कराने के निर्देश दे सकता है और ऐसी मतगणना आयोग द्वारा यथा नियत दिनांक को ही करायी जाएगी।

9— सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचनः—

45— (1) सम्बन्धित सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्धारित दिनांक एवं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी उपर उल्लिखित नियमों में उपबन्धित की गयी है।

(2) सभापति एवं उपसभापति, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह सहकारी समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अर्ह सदस्यों में से करेंगे।

10— अन्य समितियों हेतु निर्वाचित किये जाने प्रतिनिधियों की संख्या एवं आरक्षण :—

1— उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 का नियम—85

जहाँ कोई सहकारी समिति किसी अन्य समिति से सम्बद्ध हो वहाँ पूर्ववर्ती समिति नियम 85—क में निर्दिष्ट समितियों के सिवाय पश्चात्वर्ती समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधियों के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक या अधिक व्यक्यिों को जैसा कि सम्बद्धकारी समिति की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये नियुक्त कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह पूर्ववर्ती समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो

और उसमें नियमों में और समिति की उपविधियों में प्रतिनिधयों के लिए निर्धारित कोई अनर्हता न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पश्चात्वर्ती सहकारी समिति प्रबन्ध कमेटी में निर्बल वर्गों/महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करती है, वहाँ पूर्ववर्ती समिति पश्चात्वर्ती एक समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में से कम से कम एक प्रतिनिधि, यथास्थिति, निर्बल वर्ग महिला में से नियुक्त करेगी।

2– उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 का नियम–85(क)

निम्नलिखित समितियाँ निम्नलिखित रूप से प्रतिनिधि रख सकती हैं:–

(क) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य से निम्नलिखित रूप से प्रतिनिधि रख सकती है–

(एक)	प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति	छः
(दो)	ब्लाक यूनियन	चार
(तीन)	क्रय–विक्रय समिति	चार
(चार)	जिला सहकारी फेडरेशन	दो
(पांच)	जिला/थोक उपभोक्ता स्टोर	दो
(छः)	कोई अन्य समिति	दो

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (एक) से (छः) तक में प्रत्येक में कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का होगा–

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों में से धारा–29 की उपधारा (8) की अपेक्षा की पूर्ति हेतु छः प्रतिनिधियों में से कम–से–कम एक वृत्तिक व्यक्ति भेजेगी।

(ख) जिला सहकारी फेडरेशन अपने सामान्य निकाय में निम्नलिखित रूप से प्रतिनिधि रख सकता है–

(एक)	क्रय–विक्रय समिति	चार
(दो)	ब्लाक यूनियन	चार
(तीन)	प्रक्रिया समिति	चार
(चार)	कोई अन्य समिति	दो

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक का कम–से–कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों को होगा–

(ग) जिला थोक उपभोक्ता स्टोर अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से तीन प्रतिनिधि रख सकता है, परन्तु प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार की स्थिति में प्रतिनिधियों में कम–से–कम एक महिला होगी।

(घ) क्रय–विक्रय या प्रक्रिया समितियाँ अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से निम्नलिखित रूप में प्रतिनिधि रख सकती है–

(एक)	प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति	छः
(दो)	कोई अन्य समिति	दो

प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का होगा।

(घघ) ब्लाक यूनियन अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं की संख्या के बराबर प्रतिनिधि रख सकती है।

(ड.) खण्ड (क) से (घघ) के अन्तर्गत न आने वाली सहकारी समिति, प्रत्येक सदस्य समिति से, समिति की उपविधियों के अनुसार, प्रतिनिधि रख सकती है और समिति की उपविधियों में कोई ऐसी व्यवस्था न होने पर, प्रतिनिधियों की संख्या निबन्धक के निदेशानुसार होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय/डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का प्रत्येक सदस्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के सामान्य निकाय के लिए तीन प्रतिनिधि भेजेगा जिसमें से एक निर्बल वर्ग अथवा महिला तथा एक धारा–29 की उपधारा (8) की अपेक्षा की प्रतिपूर्ति हेतु वृत्तिक व्यक्ति में से होगा।

(च) जहाँ किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय से अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों वहाँ अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या उतनी होगी, जितनी समिति की उपविधियों में उपबन्धित की गयी है और समिति की उपविधियों में ऐसा कोई उपबन्ध होने पर निबन्धक के निर्देशानुसार होगी।

11– निर्वाचन का रोका जाना एवं पुनः प्रारम्भ किया जाना:–

1– किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने पर

नियम–16– यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम–49 के अधीन विधि द्वारा मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो,मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को

स्थगित कर देगा और इसकी सूचना जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेंगें, किन्तु उस व्यक्ति के लिए जो मतदान स्थगित किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान स्थगित कर दिये जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे स्थगन किये जाने के पश्चात् नामांकन दाखिल किये जाने के लिये अनर्ह न होगा और मतदान ऐसे स्थगन के पश्चात् उस दिनांक को होगा जो आयोग द्वारा नियत किया जाय।

2– विषेश परिस्थितियों में

नियम–17– समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर, नियम–16में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कोई निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगी:

परन्तु यह कि यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाय या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को दी जायेगी जिस पर आयोग निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगा:

परन्तु यह और कि, निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही मतदान डायरी में पूरे घटनाक्रम का क्रमबद्ध/समयबद्ध वर्णन करने के पश्चात् ही निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाएगी।

3— स्थगित निर्वाचन कब कराया जायेगा और किस स्तर से प्रारम्भ कर प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी

नियम—18— यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रक्रम से, जहॉ पर उसे रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से, जैसा कि आयोग विनिश्चय करे, प्रारम्भ की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन के पश्चात् वैध नाम—निर्देशन पत्रों पर चुनाव चिन्हों का आबंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा जो आयोग नियत करें:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन अधिनियम की धारा—29 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आयोग द्वारा स्थगित किया जाता है तो निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।

12— मतदान हेतु निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री का विवरण

1— जहां विधिमान्य नाम—निर्देशनों की संख्या निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नाम वापसी के पश्चात् तत्काल उसी दिनांक को निर्विरोध निर्वाचन परिणाम घोषित कर देगा।

यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने व्यक्ति निर्वाचित होने हैं, उससे अधिक वैध नामांकन प्रपत्र प्राप्त होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी, मतदान की व्यवस्था करेगा।

2— मतदान कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के तुरन्त बाद निर्वाचन क्षेत्रवार प्रत्याशियों एवं उनको आवंटित चुनाव चिन्ह तथा उस क्षेत्र में अर्ह मतदाताओं की संख्या का विवरण जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा निर्धारित संख्या में मतपत्र, चुनौती फार्म, मतपत्र लेखा फार्म, टेण्डर फार्म, क्रास सील एवं ब्रास सील के साथ निम्नलिखित सामग्री प्राप्त करेंगे:—

एक—	इंक पैड (स्याही सहित)	01 अदद
दो—	थ्रेड बाल	01 गोला

तीन–	सफेद कागज ए–4	10 शीट
चार–	बादामी अथवा बांसी कागज बड़ा	02 शीट
पांच–	मोमबत्ती	02 अदद
छः–	लाख	03 सलाखें
सात–	गोंद	एक छोटी शीशी
आठ–	दफ्ती के छोटे टुकड़े	08 अदद
नौ–	पतले तार	06
दस–	सूजा	01 अदद
ग्यारह–	सुतली	एक लच्छी (औसतन 100 ग्राम)
बारह–	काली एवं लाल पेंसिल	एक–एक अदद
तेरह–	नीला एवं काला बाल पेन	दो–दो अदद
चौदह–	लिफाफे बड़े एवं छोटे	6–6 अदद
पन्द्रह–	बैलेट बाक्स	न्यूनतम एक

विशेष :–

1– उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी स्थानीय स्तर पर क्रय करके उसकी पूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

2– मतपत्र एवं मुद्रित सामग्री की आवश्यकता का आंकलन करके समय से आयोग को संसूचित करते हुए जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उक्त मतपत्र एवं मुद्रित सामग्री यथासमय आयोग से प्राप्त कर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

3– यह सुनिश्चित करना जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि किसी सामग्री अथवा मतपत्र आदि की कमी के कारण निर्वाचन कार्य बाधित न होने पाये।

4– मतपत्रों पर प्रत्याशियों का नाम लिखवाने का दायित्व निर्वाचन अधिकारियों का होगा।

13– निर्वाचन वाद

(1) सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में क्षुब्ध पक्षकारों को निर्वाचन वाद प्रस्तुत किये जाने का विकल्प निर्वाचन नियमावली के नियम–50 में उल्लिखित है।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई भी वाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 45 दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) नियमावली में किसी अन्य बात के होते हुए भी निर्वाचन वाद दाखिल करने वाले वादी द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत् किये गये लेखाशीर्शक में निम्नवत् शुल्क जमा कर मूल रसीद वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी:–

क– प्रारम्भिक सहकारी सहकारी समितियों की स्थिति में–रू0 एक हजार
ख– जनपद/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में–रू0 दो हजार
ग– राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में–रू0 पांच हजार

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्क की रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में मुख्य चेक प्वाइंट्स

क– निर्वाचन के पूर्वः–

1– क्या जनपद की प्रारम्भिक सहकारी समितियों, जिनके निर्वाचन कराये जाने हैं, से सम्बन्धित सूचना समस्त सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर ली गयी है?

2– क्या जिन सहकारी समितियों के निर्वाचन होने हैं, के निर्वाचन कराये जाने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित अवधारण शुल्क समिति द्वारा आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या सी–7, दिनांक 28–05–2014 के अनुसार आयोग के नियत् खाते में जमा कर दिया गया है?

3– क्या उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम–84–क के प्राविधानों के अनुसार यह निर्णय लिया जा चुका है कि किन सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पूर्व सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन आवश्यक है और उसके अवधारण की तैयारी की जा चुकी है?

4– क्या जिन समितियों के निर्वाचन कराये जाने हैं? उनके निर्वाचन क्षेत्रों का अनन्तिम प्रकाशन कर, उस पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अन्तिम क्षेत्र अवधारण का प्रकाशन किया जा चुका है?

क्या उक्त में सहकारी अधिनियम की धारा–29(5) एवं निर्वाचन नियमावली के नियम–28 के अधीन 04 संचालक पद हेतु क्षेत्र आरक्षित कर दिए गये हैं?

5– क्या जिलाधिकारी/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन योग्य प्रत्येक सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है?

6– क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर पोलिंग आफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है?

7– क्या उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम–31 के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचित कार्यक्रम स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के 15 दिन पूर्व प्रकाशित कर दिया गया है?

8– क्या समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व नियम–33 के अनुसार समिति के सूचना पट एवं सम्बन्धित विकास खण्ड/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शित कर दी गयीहै?

9– क्या सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियम–12 एवं 34 के अनुसार मतदाता सूची तैयार कर ली गयी है, जो यथासमय निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जा सके?

10– क्या मतपत्र एवं अन्य निर्वाचन सामग्री आयोग के कार्यालय से प्राप्त कर ली गयी है?

11– क्या निर्वाचन अधिकारियों को दी जाने वाली समस्त निर्वाचन सामग्री की सूचीवार उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी है?

12– क्या मतपत्र एवं अन्य निर्वाचन सामग्री का वितरण का कार्यक्रम निश्चित कर लिया गया है?

13– क्या निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं उसकी तैयारी की तिथि निश्चित कर ली गयी है अथवा प्रशिक्षण कराया जा चुका है?

14– क्या प्रारम्भिक सहकारी समितियों से उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम–85 एवं 85–क के अनुसार अन्य सहकारी समितियों/केन्द्रीय/शीर्ष सहकारी समितियों के लिए निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है?

15– क्या निर्वाचन कार्य स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अवलोकन/निरीक्षण जा चुका है?

16– क्या जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सम्बन्धित सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्य स्थल पर की जा चुकी है?

17– क्या मतदान एवं मतगणना के सम्बन्ध में समस्त व्यवस्था की जा चुकी है?

ख– निर्वाचन के पश्चात्:–

1– क्या समस्त विभागों की निर्वाचन योग्य ऐसी सहकारी समितियॉ, जो परिसमापन के अधीन नहीं हैं, के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर सम्पन्न हो गये हैं?

2– क्या निर्वाचन के उपरान्त मतपत्र एवं अन्य अभिलेख सील करके समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवा दिये गये हैं?

3– क्या किसी सहकारी समिति की निर्वाचन प्रक्रिया किन्हीं कारणों से अवरूद्ध होने के कारण पूर्ण नहीं हो सकी है और उसके कारणों की समीक्षा की जा चुकी है?

4– क्या जनपद की समस्त सहकारी समितियों, जिनके निर्वाचन हो चुके हैं, का विवरण आयोग को प्रेषित कर दिया गया है?

5– क्या कोई ऐसी सहकारी समिति, जिसके निर्वाचन किसी कारणवश निर्धारित तिथियों में सम्पन्न नहीं हो सके हैं अथवा अवशेष हैं, से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों से आयोग को अवगत कराते हुए अलग से निर्वाचन तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है?

6– क्या सभी समितियों के चुनाव परिणाम निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त हो गये हैं तथा उन्हे पत्रावली में इण्डेक्स सहित लगा लिया गया है?

7– क्या निर्वाचन रजिस्टर में चुनाव परिणाम समितिवार अंकित कर लिये गये हैं?

8– क्या सभी निर्वाचन अधिकारियों ने रसीद बुक वापस कर दी है एवं प्राप्त समस्त धनराशि आयोग के नियत खाते में जमा कर दी है?

9– क्या जिन निर्वाचन अधिकारियों ने रसीद बुक वापस नहीं की है या प्राप्त समस्त धनराशि जमा नहीं की है, के विरूद्ध कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा उनके सम्बन्धित विभागध्यक्ष को लिखा जा चुका है?

10– क्या अवशेष मतपत्र एवं अवशेष अन्य निर्वाचन सामग्री का विवरण तैयार कर उसे आगामी प्रयोग हेतु सुरक्षित रखा जा चुका है?

11– क्या जनपद में खोले गये आयोग के निर्वाचन खाते में उपलब्ध धनराशि का सम्पूर्ण विवरण आयोग को प्रेषित किया जा चुका है?

(एल0एम0चौबे) निर्वाचन आयुक्त	(गंगादीन यादव) मुख्य निर्वाचन आयुक्त

परिशिष्ट–1

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली–2014 के नियम–64(क) में व्यवस्था है कि, किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण आयोग द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित किया जाएगा और यह धनराशि उस समिति, जिसका निर्वाचन किया जाना है, की निधि से देय होगी।

उपर्युक्त विधिक प्राविधानों के अधीन प्रदेश की समस्त प्रकार की सहकारी समितियों हेतु अधोलिखित विवरणानुसार निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण किया जाता है:–

1–	सहकारिता विभाग की समस्त प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, सहकारी संघ (ब्लाक यूनियन), क्रय–विक्रय सहकारी समितियों एवं अन्य प्रारम्भिक समितियों, उद्यान विभाग के समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, हथकरघा एवं उद्योग विभाग की समस्त प्रारम्भिक समितियों, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग की समस्त प्रारम्भिकसहकारी समितियों, मत्स्य विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारीसमितियों, दुग्ध विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, उद्योग विभाग के समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, एवं रेशम विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों से –	रू0 1250.00 प्रति समिति
2–	गन्ना विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों एवं आवास विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों से–	रू0 5000.00 प्रति समिति
3–	सहकारिता विभाग के केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला सहकारी संघ एवं सहकारिता के साथ–साथ अन्य समस्त विभागों की अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियों से–	रू0 5000.00 प्रति समिति
4–	केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक, नगरीय सहकारी बैंक एवं बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली अन्य सहकारी समितियों से–	रू012500.00 प्रति समिति
5–	उ0प्र0 आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लि0, फर्रूखाबाद से–	रू0 12500.00
6–	उ0प्र0 जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखनऊ से–	रू0 12500.00
7–	उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ से–	रू0 12500.00
8–	प्रादेशिक कोआपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0, लखनऊ से–	रू0 12500.00
9–	मेसर्स यू0पी0 एपेक्स एक्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी मार्के0 एसो0 लि0, कानपुर से–	रू0 12500.00
10–	मे0 यू0पी0 हैण्ड0 टैक्स0 एपेक्स मार्केट कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, कानपुर से–	रू0 12500.00
11–	मे0 यू0पी0 एपेक्स हैण्ड0 मार्के0 एपेक्स कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 कानपुर से–	रू0 12500.00
12–	मे0 यू0पी0 टैक्स प्रोड0 हैण्ड0 मार्के0 एपेक्स	

	कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 कानपुर से–	रू0 12500.00
13–	अन्य शीर्ष सहकारी समितियों से–	रू0 12500.00
14–	उ0प्र0 अर्बन कोआपरेटिव बैंक फेडरेशन लि0,लखनऊ से–	रू0 25000.00
15–	दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0 (सेस) लखनऊ से–	रू0 25000.00
16–	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0,लखनऊ से–	रू0 25000.00
17–	मे0 यू0पी0 इण्डिस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि0 (यूपिका), कानपुर से–	रू0 25000.00
18–	उ0प्र0 राज्य औद्योनिक सहकारी विपणन संघ लि0, लखनऊ से–	रू0 50000.00
19–	उ0प्र0 मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ से–	रू0 50000.00
20–	प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0, लखनऊ से–	रू0 50000.00
21–	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ से–	रू0 100000.00
22–	उत्तर प्रदेषीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 लखनऊ से–	रू0 100000.00
23–	उ0प्र0 कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0,लखनऊ से–	रू0 100000.00
24–	उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,	रू0 100000.00
25–	उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ से–	रू0 100000.00
26–	उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0,(पी0सी0एफ0),लखनऊ से–	रू0 100000.00

ह0
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ,

पत्रांक सी–7 /रा0स0स0नि0आ0(निर्धारण)/ दिनांकः लखनऊः मई 28, 2014

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं से प्रेषित कि, अपने क्षेत्राधिकार की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों/समितियों को संसूचित करने का कष्ट करें:–

1– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
4– आयुक्त, गन्ना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– आयुक्त, दुग्ध विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
6– आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7– निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8– निदेशक, रेशम विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9– निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
10– निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर।
11– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ।
12– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
13– गार्ड फाईल।

(एल0 एम0 चौबे)
निर्वाचन आयुक्त

परिशिष्ट–2

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग किये जाने के पूर्व अधोलिखित निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक से निर्वाचन अधिकारी को उ0प्र0 सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम 43(14) के अधीन निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा:–

1– भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र
2– ड्राइविंग लाइसेंस
3– पैन कार्ड
4– बैंक पासबुक
5– आधार कार्ड
6– राशन कार्ड
7– किसान जोत बही
8– पासपोर्ट
9– मनरेगा जाब कार्ड
10– समिति द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पास बुक
11– किसी शासकीय कार्यालय/निगम/उपक्रम/संस्था के समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र

ह0
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ

पत्रांक सी–15 /रा0स0स0नि0आ0 (निर्धारण)/ दिनांकः लखनऊः जून 13, 2014

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– निर्वाचन अधिकारी, सम्बन्धित समितियाँ द्वारा समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4— समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— प्रबन्ध निदेशक, समस्त शीर्ष सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
6— आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
7— गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
8— दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
9— आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10— निदेशक, मत्स्य उ0प्र0, लखनऊ।
11— निदेशक, रेशम, उ0प्र0, लखनऊ।
12— निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
13— निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
14— निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर।
15— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
16— गार्ड पत्रावली।

(एल0 एम0 चौबे)
निर्वाचन आयुक्त

KEXAMS

परिशिष्ट–3

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य की समस्त सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम 40(10) में प्रदत्त शक्ति के अधीन उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा अधोलिखित चुनाव चिन्ह प्रयोग किये जाने हेतु अनुमोदित किये जाते है :–

1– शेर,
2– कार,
3– आलमारी
4– घोड़ा,
5– छाता,
6– चारपाई,
7– लालटेन,
8– कलम–दवात,
9– बगुला,
10– ऊँट,
11– कप–प्लेट,
12– दो पत्ती,
13– कुल्हाड़ी,
14– छत का पंखा
15– कंघा,
16– घड़ा,
17– उगता हुआ सूरज,
18– तारा,
19– गमला,
20– तराजू,
21– कुर्सी,
22– गिलास,
23– मछली,
24– गुलाब का फूल,
25– ट्रैक्टर,
26– मुर्गा,
27– डमरू,
28– पतंग,
29– नल,
30– चश्मा,
31– मेज,
32– सिलाई मशीन

उपर्युक्त चुनाव चिन्हों का प्रयोग निम्न प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगाः–

1– उपर्युक्त चुनाव चिन्हों को प्रत्याशियों के नामों के हिन्दी वर्णमाला क्रम में क्रमवार आवंटित किया जायेगा।

2– यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में चुनाव चिन्हों का आवंटन नाम के अगले अक्षर द्वारा आवंटित किया जायेगा।

3– यदि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 32 से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे चुनाव चिन्ह, जो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल एवं प्रदेश के किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है और सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित चुनाव चिन्हों से साम्यता एवं जिससे आमजन भली–भांति परिचित हो, का प्रयोग किया जा सकता है।

ह0
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ

पत्रांक सी–14 /रा0स0स0नि0आ0 (निर्धारण)/ दिनांकः लखनऊः जूनः 13, 2014

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– प्रबन्ध निदेशक, समस्त शीर्ष सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
4– आयुक्त, गन्ना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
6– गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7– दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
8– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9– निदेशक, मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।
10– निदेशक, रेशम, उ0प्र0, लखनऊ।
11– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ।
12– निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
13– निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर।
14– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
15– प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
16– गार्ड फाईल।

(एल0 एम0 चौबे)
निर्वाचन आयुक्त